Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 151–2022/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, AUGUST 23, 2022 (BHADRA 1, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 23 अगस्त, 2022

संख्या 52/जीएसटी–2.–एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 13), की धारा 20 के साथ पठित हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) (जिसे, इसमें, इसके पश्चात्, उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 43/जीएसटी–2, दिनांक 07 मई, 2020 तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 19/जीएसटी–2, दिनांक 21 मई, 2021 का आंशिक उपांतरण करते हुए,–

(i) भुगतान न किए गए कर या कम भुगतान किए गए कर या गलत रूप से लाभ उठाए गए या उपयोग किए इनपुट कर प्रत्यय की वसूली के लिए वित्तीय वर्ष 2017–2018 के लिए कर की अवधि के संबध में उक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (9) के अधीन आदेश जारी करने के लिए धारा 73 की उपधारा (10) के अधीन विनिर्दिष्ट समय सीमा का 30 सितम्बर, 2023 तक विस्तार करते हैं;

(ii) गलत प्रतिदाय की वसूली के लिए उक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (9) के अधीन आदेश जारी करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (10) के अधीन परिसीमा अवधि की संगणना के लिए मार्च, 2020 के प्रथम दिन से 28 फरवरी, 2022 तक की अवधि को उपवर्जित करते हैं;

(iii) उक्त अधिनियम की धारा 54 या धारा 55 के अधीन प्रतिदाय आवेदन दाखिल करने के लिए परिसीमा अवधि की संगणना करने हेतु मार्च, 2020 के प्रथम दिन से 28 फरवरी, 2022 तक की अवधि को उपवर्जित करते हैं।

2. यह अधिसूचना प्रथम मार्च, 2020 से लागू हुई समझी जाएगी।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 23rd August, 2022

No. 52 /GST-2.— In exercise of the powers conferred by section 168A of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act) read with section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (Central Act 13 of 2017) and in partial modification of the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No. 43/GST-2, dated the 7th May, 2020 and Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No. 19/GST-2, dated the 21st May, 2021, the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby,-

(i) extends the time limit specified under sub-section (10) of section 73 for issuance of order under sub-section (9) of section 73 of the said Act, for recovery of tax not paid or short paid or of input tax credit wrongly availed or utilized, in respect of a tax period for the financial year 2017-18, up to the 30th day of September, 2023;

(ii) excludes the period from the 1st day of March, 2020 to the 28th day of February, 2022 for computation of period of limitation under sub-section (10) of section 73 of the said Act for issuance of order under sub-section (9) of section 73 of the said Act, for recovery of erroneous refund;

(iii) excludes the period from the 1st day of March, 2020 to the 28th day of February, 2022 for computation of period of limitation for filing refund application under section 54 or section 55 of the said Act.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of March, 2020.

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.

9840—C.S.—H.G.P. Pkl.